

प्रेषक

वरिष्ठ नगर योजनाकार,  
हिसार परिमण्डल, हिंसार।

सेवा में

टैगोर शिक्षा समिति,  
गांव बड़वा, तह0 सिवानी,  
जिला भिवानी।  
यादि क्रमांक 5078  
दिनांक 15/1/07

विषय


अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने बारे - टैगोर शिक्षा समिति, गांव बड़वा,  
तह0 सिवानी, जिला भिवानी।

हवाला

जिला नगर योजनाकार, भिवानी के यादि क्रमांक 5022 दिनांक  
28-10-2007 के सन्दर्भ में।

अवगत करवाया जाता है कि जिला नगर योजनाकार, भिवानी कार्यालय से हवालाधीन पत्र के अन्तर्गत प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आप द्वारा गांव बड़वा तह0 सिवानी, जिला भिवानी के ख0 न0 240/19/2,20/2,20/1/2,21,22 कुल भूमि 20 कनाल 01 मरला में शैक्षणिक संस्थान हेतु भवन बनाया जाना है। प्राप्त विवरण अनुसार आवेदित स्थल इस विभाग द्वारा घोषित शहरी क्षेत्र सिवानी के अन्दर पड़ता है तथा वर्तमान समय में किसी भी नियन्त्रित क्षेत्र से बाहर पड़ता है। जिला नगर योजनाकार, भिवानी से हवालाधीन पत्र के अन्तर्गत प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विषयक केस में शहरी क्षेत्र अधिनियम 1976 की धारा 7(1) की उल्लंघना नहीं होती है। आवेदित स्थल हिंसार राजगढ़ रा0 रा0 न0 65 से निकलने वाले 6 करम चौड़े राजस्व सारो पर पड़ता है। अतः प्राप्त रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के मध्यनजर विषयक स्थल पर उपरोक्त सोसायटी द्वारा शैक्षणिक संस्थान हेतु भवन बनाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधार पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र विषयक स्थल पर लागू अन्य विभागों के एक्टस एवं धाराओं से छूट प्रदान नहीं करता है।
2. विषयक स्थल के नियन्त्रित क्षेत्र में आ जाने पर नियन्त्रित क्षेत्र से सम्बन्धित नियम एवं कानून लागू होंगे।
3. विकास शुल्क एवं अन्य कोई राशि इस विभाग द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर अन्दर रेंच होगी।
4. आवेदित स्थल पर निर्माण आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभाग से अनुमति एवं उपयुक्त कार्यालय से यथार्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
5. आवेदित स्थल से सम्बन्धित पहुँच एवं दूरियाँ सम्बन्धित विभाग द्वारा चैक एवं वैरिफाई किए जाएंगे तथा रा0 रा0 न0 65 की 60 मी0 चौड़ी वर्जित पट्टी में कोई निर्माण नहीं किया जाएगा।
6. उपरोक्त किसी भी शर्त को पूरा ना किए जाने की हालत में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने आप रद्द हो जाएगा।

  
वरिष्ठ नगर योजनाकार,  
हिसार परिमण्डल, हिंसार।  
दिनांक

पू0 क्रमांक

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती

है।

1-

वरिष्ठ नगर योजनाकार, (ई एण्ड बी) हरियाणा, चण्डीगढ़।

2-

जिला नगर योजनाकार, भिवानी को हवालाधीन पत्र के संदर्भ में।

वरिष्ठ नगर योजनाकार,  
हिसार परिमण्डल, हिंसार।